



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

संजय भा. गवई
Sanjay B. Gawai
कुलसचिव
Registrar

दूरभाष : +91-7152-230902
फैक्स / Fax : +91-7152-230902

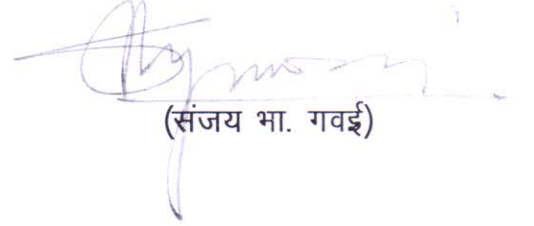
File No. 005/2012/उप/परीक्षा/01/ 219
Dated : 21/11/2014

कार्यालयादेश

एम.ए. प्रथम छमाही, तृतीय छमाही एवं एम.फिल. प्रथम छमाही के समस्त विद्यार्थियों/शोधार्थियों को नवंबर-2014 के सत्रांत परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में जिन विद्यार्थियों/शोधार्थियों की समेकित उपस्थिति 75% से कम हैं, उन सभी विद्यार्थियों/शोधार्थियों को अगले सत्र/सत्रों में उपस्थिति पूरी करनी होगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।


(संजय भा. गवई)

प्रतिलिपि-

1. सभी संबंधित विभाग
2. कुलपति कार्यालय
3. परीक्षा विभाग
4. सभी विभागाध्यक्ष/केंद्राध्यक्ष
5. सभी छात्रावास अधीक्षक